पत्र सं०प्र०–09 / ज०सं०दे०वे०भो०कोर्ट केश–03 / 2013:– /राँची दिनांकः–

झारखंड सरकार

जल संसाधन विभाग।

संकल्प

विषयः– डब्लू०पी०(एस०) सं०–7944 / 2012 पंकज राणा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–17.07.13 को पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में वादी श्री पंकज राणा की नियुक्ति चतुर्थ वर्ग के पद पर करने के संबंध में।

श्री पंकज राणा, तत्कालीन दैनिक वेतन भोगी कर्मी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में W.P.(S) सं०–7944 / 2012 दायर किया गया जिसमें उनके द्वारा विभागीय ज्ञापांक–895 दिनांक–26.04.12 से निर्गत आदेश को निरस्त करते हुए नियमित सेवा में नियुक्ति की मांग की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–17.07.13 को निम्नांकित न्याय निर्णय पारित किया गया।

"In view of the aforesaid, this writ petition is allowed. The impunged order in hereby quashed. Since the petitioner has been agitating his claim since last more than 10 years and his claim has been wrongly rejected, no purpose would be served by remanding the matter for fresh consideration and I am of the opinion that in the peculiar facts of the case, a direction to the respondents to appoint the petitioner, would serve the ends of justice. Accordingly, the respondents are directed to appoint the petitioner on a class-IV post within a period of 6 weeks from the communication of the order. The writ petition is allowed in the aforesaid terms."

वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1859 / वि०दिनांक–02.09.11 के आलोक में चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हत्ता दसवीं उत्तीर्ण हैं परंतु श्री राणा के दसवीं उत्तीर्ण अर्हत्ता नहीं होने के कारण नियुक्ति नहीं हो सकी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश की पृष्ठभूमि में इसे विशेष मामला मानते हुए दसवीं उत्तीर्ण की शैक्षणिक योग्यता को क्षान्त (Relax) करने हेतु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करते हुए उनके परामर्श / निदेशानुसार इस मामले में मंत्रिपरिषद से भी स्वीकृति प्राप्त की गई। वित्त विभाग द्वारा इस शर्त के साथ सहमति प्राप्त है कि न्यायादेश के अनुपालन में यह विशेष मामला होगा। यह पुर्वोदाहरण नहीं होगा। इन्हीं शर्तो पर श्री राणा की नियुक्ति अनुमान्य होगी।

2. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति जल संसाधन विभाग के संलेख ज्ञापांक–7418 दिनांक–30.07.14 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–07.08.14 में मद सं०–32 में दी गई।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखंड, राँची / सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाए।

झारखंड राज्यपाल के आदेश

ह0 / –

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–09 / ज०सं०दै०वे०भो० कोर्ट केश–03 / 2013– /राँची दिनांकः–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले०एवं हक०) झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–09 / ज०सं०दै०वे०भो० कोर्ट केश–03 / 2013– 7784 /राँची दिनांकः–28-8-14

प्रतिलिपिः– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव / सभी प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/8/2014

सरकार के प्रधान सचिव।